



डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)

(A CENTRAL UNIVERSITY)

क्र.: वित्त-लेखा/बजट/2024/2614

दिनांक : 24 जून 2024

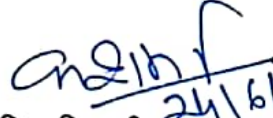
बजट सूचना

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु यू.जी.सी. द्वारा विश्वविद्यालय को आवंटित बजट मद-31 अनुसार विभिन्न विभागों को निर्धारित मद में बजट का आवंटन किया जा चुका है। अतः समस्त विभागों को आवंटित बजट मद के अतिरिक्त अन्य मदों में कार्य कराने हेतु निम्नानुसार विश्वविद्यालय के विभागों को केन्द्रीय पूल बजट से कार्य कराने/क्रय करने से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करते हुये कार्य पूर्ण कराया जा सकता है। इस हेतु बजट की टीप एवं अनुशंसा हेतु नस्ति सीधे विभागों को प्रेषित की जावे एवं कार्य पूर्ण होने पर भुगतान हेतु समस्त देयक यंत्री विभाग के माध्यम से Manage Bill द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

Internal Works Department	
1.	AC Repair & Maintenance (310419)
2.	Repair & Maintenance of Furniture (310412)
3.	Repair & Maintenance of office equipment (310413)
4.	Purchase of Sanitary Item (310231)
5.	Purchase of Electrical Item (310229)
6.	Repair & Renovation Civil (310415)
7.	Repair & Renovation Electrical (310416)

Information Technology Cell	
1.	Computer Accessories (310401)

Store and Purchase Section	
1.	Repair & Maintenance of office equipment (310413)


24/6/24
वित्ताधिकारी

डॉ. हरिसिंह गौर वि.वि. सागर (म.प्र.)

प्रतिलिपि:-

- कुलपति महोदया के निजी सचिव के माध्यम से कुलपति जी को सूचनार्थ।
- अधिष्ठाता, निदेशक, विभागाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर (समन्वयक), सहायक निदेशक, प्रभारी, संयुक्त कुलसचिव, उप कुलसचिव, आंतरिक लेखा एवं संपरीक्षा अधिकारी, विश्वविद्यालय यंत्री, सहायक कुलसचिव, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, चिकित्सा अधिकारी, हिन्दी अधिकारी, प्रभारी, अनुभाग अधिकारी, सहायक यंत्री, उपयंत्री, शाखाप्रभारी एवं विभिन्न कमेटियों के अध्यक्ष।
- कुलसचिव/ ~~विभागाध्यक्ष~~ / परीक्षानियंत्रक।
- विश्वविद्यालय यंत्री को इस आशय के साथ कि वे उक्त केन्द्रीय पूल बजट का विधिवत बजट कंट्रोल रजिस्टर/पंजी संधारित करें एवं प्राप्त प्रस्तावों पर तदनुसार बजट की टीप अंकित करते हुये नस्ति वित्ताधिकारी महोदय के माध्यम से प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

